

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 147/114/वित्त/नियम/चार/2010,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 05 जून 2010

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।


विषय:- दिनांक 1.1.2006 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के एरियर्स भुगतान बाबत् ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 112/114/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक 29.4.2010

संदर्भित ज्ञापन द्वारा दिनांक 1.1.2006 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के एरियर्स भुगतान बाबत् निर्देश जारी किये गये हैं । कतिपय संघों एवं विभागों द्वारा उक्त ज्ञापन की कंडिका (ब) के अंतर्गत मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (डीसीआरजी) की राशि निर्धारण करने के लिए 'उपलब्धि' की गणना हेतु मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी शामिल किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कंडिका में 'उपलब्धि' की गणना हेतु अंतिम माह का मूल वेतन (वेतन बैड में वेतन + ग्रेड वेतन) शामिल करने के निर्देश हैं । अतः 'उपलब्धि' की गणना हेतु महंगाई भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग